प्रेस विज्ञप्ति
19/01/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय अन्वेषण इकाई, नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी करते हुए मेसर्स अन्वी पावर इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत अपार्टमेंट संख्या 1516बी, द मंगोलियास, डीएलएफ सिटी चरण-V, वजीराबाद, गुरुग्राम, हरियाणा को कुर्क किया है, जिसकी कीमत ₹32.28 करोड़ है। धन शोधन निवारण अधिनियम जांच में यह उजागर हुआ कि यह संपत्ति जेनसॉल समूह के अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रवर्तक अनमोल सिंह जग्गी द्वारा अधिग्रहीत की गई थी और इसे जेनसॉल समूह की कंपनी मेसर्स मेट्रिक्स गैस एण्ड रेन्युबल्स लिमिटेड से विपथित (डायवर्टेड) राशि का उपयोग कर प्राप्त किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स मेकॉन लिमिटेड द्वारा मेसर्स मेट्रिक्स गैस एण्ड रेन्युबल्स लिमिटेड (मैट्रिक्स) तथा अन्य के विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर सीबीआई, एसटीबी, नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत एफआईआर के आधार पर जांच प्रारंभ की गई।

ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के अंतर्गत भारत में इस्पात क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग से लौह एवं इस्पात निर्माण प्रक्रिया हेतु पायलट परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इस्पात मंत्रालय के माध्यम से सरकारी निधि का आवंटन किया गया था। पायलट परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु इस्पात मंत्रालय द्वारा मेसर्स मेकॉन लिमिटेड को योजना क्रियान्वयन एजेंसी (स्कीम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी–एसआईए) के रूप में नियुक्त किया गया। मेसर्स मेट्रिक्स गैस एण्ड रेन्युबल्स लिमिटेड सफल बोलीदाता के रूप में उभरी तथा प्रारंभिक रूप से स्वीकृत सरकारी अनुदान की 20 प्रतिशत राशि, जो ₹32.28 करोड़ थी, मेसर्स मेट्रिक्स गैस एण्ड रेन्युबल्स लिमिटेड को निर्गत की गई।

ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि पायलट परियोजना के लिए निर्गत सार्वजनिक धनराशि का उपयोग करने के बजाय, मेसर्स मेट्रिक्स गैस एण्ड रेन्युबल्स लिमिटेड ने उक्त संपूर्ण राशि को बेईमानी एवं धोखाधड़ीपूर्वक अनमोल सिंह जग्गी के नियंत्रणाधीन विभिन्न कॉर्पोरेट इकाइयों के जाल के माध्यम से परतदार (लेयर्ड) लेन-देन की श्रृंखला के जरिए विपथित (डायवर्ट) किया, ताकि धन के स्रोत को छिपाया जा सके, तथा अंततः इस धन का उपयोग प्रवर्तकों के व्यक्तिगत लाभ एवं जेनसोल समूह की अन्य गतिविधियों के लिए किया गया। जांच में यह भी उजागर हुआ है कि मेसर्स मेट्रिक्स गैस एण्ड रेन्युबल्स लिमिटेड के धन को समूह की एक कंपनी के नाम पर उक्त कुर्क विलासितापूर्ण संपत्ति के अधिग्रहण हेतु विपथित (डायवर्ट) किया गया था और उक्त संपत्ति के अपराध की आय होने के कारण प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इसे अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।